

परिपत्र / महत्वपूर्ण

पत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2023-24// 2216 / राज्य कर,
कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(चरित्र पंजिका अनुभाग)

दिनांक :: लखनऊ :: ०४ सितम्बर, 2024
अम्दब

समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त उपायुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
संख्या संवर्ग के प्रत्येक स्तर के अधिकारी ।

कृपया वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियों के सम्बन्ध में जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या-चरित्र पंजिका/परिपत्र/ सामान्य वार्षिक प्रविष्टि-2023-24// 976 / राज्य कर, दिनांक 08-07-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रतिवेदक / समीक्षक एवं स्वीकर्ता स्तर पर ऑनलाइन अंकित की जाने वाली वार्षिक प्रविष्टियों के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 31-10-2024, दिनांक 30-11-2024 व दिनांक 31-12-2024 तिथियां निर्धारित की गयी है।

चूंकि शासनादेश संख्या-63/सैतालिस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 24-02-2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियों हेतु दिनांक 31-12-2024 के बाद प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकन की व्यवस्था को कालबाधित किया गया है। तदक्रम में आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि आपके स्तर (प्रतिवेदक, समीक्षक अथवा स्वीकर्ता) पर लम्बित प्रदर्शित हो रही वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टियों को शीघ्रातिशीघ्र अंकित करना सुनिश्चित

करें।
S. S. 2/10/24
DC (I-F)
2/10/24
2643

(धनन्जय शुक्ला)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

पृ०प० संख्या एवं दिनांक : ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचनार्थ ।
2. अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 / 2 (उच्च न्यायालय कार्य) प्रयागराज / लखनऊ ।
4. संयुक्त आयुक्त (उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, प्रयागराज / लखनऊ / गाजियाबाद ।
5. अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ ।
6. संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं ए.सी.आर पोर्टल में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. कम्प्यूटर ऑपरेटर स्थापना राजपत्रित अनुभाग को ई०आई०एम०एस० पर अपलोड करने हेतु।

(श्याम प्रसाद)

संयुक्त आयुक्त (स्थापना) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

आई० टी०